न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर (म.प्र.) 166

F-2345-I/16 निगरानी प्रक.क्र.- सन 2016

रामकिशोर तनय स्व.श्री परशुराम पाठक
निवासी- ग्राम गौरिहार, तहसील- गौरिहार
जिला- छतरपुर (म.प्र.) ---------- प्रार्थी / आवेदक

बनाम

मध्य प्रदेश शासन ---------- प्रतिप्रार्थी / अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

निगरानी विरूद्ध आदेश श्रीमान तहसीलदार महोदय गौरिहार जो राजस्व प्रक.क्र.- 322/बी-121/15-16 दिनांक 01/07/2016 को पारित किया गया।

महोदय,

प्रार्थी निम्नलिखित निगरानी आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है-

(1) यह कि वर्तमान खसरा नं. 2487, 2488 रकबा 1.270, 0.870 हैक्टेयर, जिसका पुराना खसरा नं. 643 रकबा 2.488 हैक्टेयर स्थित ग्राम गौरिहार, तहसील गौरिहार जिला छतरपुर म.प्र. मे प्रार्थी के पिता परशुराम तनय महादेव पाठक वर्षा 1980 के पूर्व से लगातार काबिज रहकर जीवन पर्यन्त काश्त करते रहे। उनकी मृत्यु दि. 23/3/12 को हो जाने के बाद से आवेदक उनमे काबिज रहकर काश्त कराता चला आ रहा है, और आज भी उसमे प्रार्थी का कब्जा है, तथा राजस्व अभिलेखो मे भी प्रार्थी के पिता का कब्जा वर्षा 1980-81 से अतिक्रमण के रूप मे दर्ज है, जिस संबंध मे उनका कई बार अर्थदण्ड हुआ था।

(2) यह कि प्रार्थी ने उक्त भूमियों पर दिनांक 02/10/1984 के पूर्व से कब्जा होने के आधार पर, ~~कब्जा होने के आधार पर~~ भूमिस्वामी हक, प्रदान किये जाने हेतु आवेदन तहसीलदार महोदय गौरिहार के न्यायालय मे दिया, जो कि उनके द्वारा दिनांक 01/07/2014 को वास्तव भूमि चरनोई हेतु सुरक्षित मानकर खारिज कर दिया गया।

2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 2345–एक/2016 जिला– छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19 –7–2016	आवेदक अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा तहसीलदार गौरिहार, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्र0 332/बी–121/15–16 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शासकीय भूमि खसरा नं0 2487, 2488 रकबा क्रमशः 1.210, 0.870 हैक्टेयर, जिनका पुराना खसरा नं0 643 स्थित ग्राम गौरिहार तहसील गौरिहार, जिला–छतरपुर पर भूस्वामी हक प्रदान किये जाने हेतु प्रार्थी ने तहसीलदार गौरिहार के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 332/बी–121/2015–16 इस आधार पर प्रस्तुत किया कि उक्त वादग्रस्त भूमियों में प्रार्थी के पिता परशुराम पाठक तनय महादेव पाठक दिनांक 02.10.1984 के पूर्व से काबिज रहकर काश्त करते रहे । उनकी मृत्यु के बाद से आवेदक काबिज रहकर काश्त करता है जिससे प्रार्थी को म0प्र0 दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया जाना विशेष उपलबन्ध अधिनियम प्रारूप के अन्तर्गत भूमिस्वामी घोषित किया जावे । तदानुसार उसे भूमिस्वामी घोषणा पत्र दिया जावे । 3/ तहसीलदार गौरिहार ने दिनांक 01.07.2016 को प्रार्थी का आवेदन–पत्र वादग्रस्त भूमि में पटवारी	

पंचनामा के आधार पर पूर्व में प्रार्थी के पिता का कब्जा मानते हुये तर्वमान में प्रार्थी का कब्जा पाते हुये इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि वादग्रस्त भूमि चरनोई से काबिज काश्त कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 07.04.2001 के द्वारा घोषित किया गया है, परन्तु उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि पेश न कर छायाप्रति प्राप्त की गई है, जिसको पढ़ा जाना सम्भव नहीं है । इसलिये अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि को चरनोई मानकार प्रार्थी का आवेदन दिनांक 01.07.2016 को निरस्त कर दिया गया ।

4/ प्रार्थी की ओर से तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि में दिनांक 02.10.1984 के पूर्व से प्रार्थी के पिता परशुराम का कब्जा प्रमाणित पाया है और उनकी मृत्यु के वाद प्रार्थी का कब्जा पाया गया है । प्रकरण में प्रस्तुत खसरों की नकलों से भी कब्जे की पुष्टि होती है । वर्ष 2015–16 में भी प्रार्थी का बेजा कब्जा पाया गया है, परन्तु योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 07.04.2001 पर विश्वास न कर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है ।

5/ मैंने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया । पटवारी प्रतिवेदन पंचनामा और कब्जे की पुष्टि में प्रस्तुत खसरा नकलों से यह प्रमाणित है कि प्रार्थी के पिता परशुराम तनय महादेव पाठक का कब्जा वादग्रस्त भूमि में दिनांक 02.10.1984 के पूर्व से उनके जीवनपर्यत तक रहा और उनकी मृत्यु के बाद से प्रार्थी कब्जा है । कलेक्टर के न्यायालयीन

/2016

प्रकरण क्रमांक 23/अ–59/2000–01 के आदेश दिनांक 07.04.2001 द्वारा वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 2487, 2488 को अन्य भूमि नम्बरों के साथ चरनोई से काबिज काश्त घोषित किया गया है जिससे भूमि को चरनोई भूमि नहीं माना जा सकता है । इसलिये तहसीलदार गौरिहार द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखा जाना नहीं पाता हूँ ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा तहसीलदार गौरिहार द्वारा प्रकरण क्रमांक 332/बी–121/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2016 निरस्त किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 2487, 2488 रकबा 1.270, 0.730 स्थित भूमि गौरिहार तहसील गौरिहार, जिला–छतरपुर का प्रार्थी/निगरानीकर्ता को म0प्र0 दखलरहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना विशेष उपबन्ध अधिनियम 1984 के अन्तर्गत भूमिस्वामी घोषित किया जाता है । उक्त भूमियों पर प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में दर्ज किया जावे । तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।

सदस्य